(37)

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2003

क्रमांक 639 /ब-4/चार/2003/भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि नियम, 2003" है ।

(2) ये नियम वित्तीय वर्ष 2002-2003 में छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रारंभ :-

ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के प्रति दायित्वों का निर्वहन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि से व्यय से संबंधित मामलों में लागू होंगे ।

3. परिभाषाएँ :-

(क) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ का राज्य शासन ।

(ख) "निधि" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा स्थापित पेंशन निधि ।

(ग) "वित्त विभाग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन का वित्त विभाग ।

(घ) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष ।

Scanned by CamScanner

(ड.) "पेंशन भोगी दायित्व" से अभिप्रेत है, मुख्य शीर्ष - 2071 के अन्तर्गत पेंशन दायित्व।

(च) "महालेखाकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ का महालेखाकार ।

4- <u>राज्य पेंशन निधि के संचालन का प्रारंभ :-</u>

राज्य पेंशन निधि में राशि का अंतरण एवं संचालन वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होगा ।

5- <u>निधि में अन्तरण :-</u>

निधि में निम्न स्त्रोतों से राशि का अन्तरण किया जाएगा :-

(1) शासन की समेकित निधि से,
(2) अन्य स्त्रोतों से, जैसा कि शासन समय-समय पर निर्धारित करे ।

6- <u>निधि में अन्तरण का निर्धारण :-</u>

(1) शासन द्वारा किसी एक वर्ष में निधि में अन्तरण की जाने वाली राशि उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में मुख्य शीर्ष-2071-अन्तर्गत पेंशनरी दायित्वों पर हुए व्यय के 5 प्रतिशत तक सीमित रहेगी,

परन्तु, शासन के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए यथावश्यक इस सीमा से अधिक राशि का अन्तरण किया जा सकेगा ।

(2) अन्य स्त्रोतों से निधि में राशि का अंतरण शासन द्वारा नियम 5(2) के अधीन समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा ।

7- <u>निधि का उपयोग :-</u>

इस प्रकार निर्मित निधि का उपयोग वित्त विभाग द्वारा केवल पेंशन दायित्वों की पूर्ति के लिए किया जाएगा,

परन्तु वर्ष 2009-10 के पूर्व, निधि में अंतरित राशि का उपयोग किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकेगा ।

Scanned by CamScanner

8. पेंशन निधि में जमा राशि का वेष्ठन ।

पेंशन निधि में उपलब्ध अतिशेष राशि का वेष्ठन शासन द्वारा ऐसे वेष्ठन के लिये विहित प्रकिया अनुसार सिर्फ भारत सरकार शासन की प्रतिभूतियों में किया जाएगा ।

9- निधि का संधारण एवं लेखा :-

पेंशन निधि का संधारण वित्त विभाग द्वारा "लोक लेखा" के अधीन किया जाएगा । वित्त विभाग निधि में अन्तरण और प्राप्ति की लेखाओं का संधारण करेगा तथा महालेखाकार से अतिशेष का पुनर्मिलान किया जाएगा ।

10- व्यावृत्ति:-

सरकार इन नियमों के उपबंधों के संबंध में निधि के कुशल संचालन तथा प्रशासन के लिये जैसा कि उचित समझे समय-समय पर निर्देश जारी करेगी । इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन में यदि कोई कठिनाई हो तो राज्य सरकार उसका निदान कर सकेगी या नियमों में परिवर्तन कर सकेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.के.विजयवर्गीय)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

Scanned by CamScanner